

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/16/19125

जयपुर, दिनांक 25/5/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोज्य शिविर अवधि के दौरान राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 26 के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले पट्टे/लीज डीड पर राजस्थान के राज्यपाल की ओर से एकल हस्ताक्षर करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. नगर निगम के क्षेत्र के लिये | - संबंधित उपायुक्त |
| 2. नगर परिषद के क्षेत्र के लिए | - आयुक्त |
| 3. नगर पालिका के क्षेत्र के लिए | - अधिशाषी अधिकारी |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/19126-19576 दिनांक 25/5/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक राजस्थान, अजमेर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी